राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 324 / 2025

रामानंद गंगवार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण, जयपुर।
3. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन निदेशालय एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
5. अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजखेड़ा संभाग, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीताराम भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में प्रत्यर्थी विभाग के तहत नियमित बेसिक पर नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी लोक निर्माण विभाग, संभाग राजाखेड़ा जिला धौलपुर से सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 30.6.2021 को सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नियुक्त किया गया था और वह दिनांक 30.6.2021 को सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति के समय वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है। (अनुलग्नक–1) राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर आदेश दिया है कि सभी कर्मचारियों की वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई ही रहेगी। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी जून माह की अंतिम तिथि से सेवानिवृत्त हो गया है तथा उस दिन उसने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए वह एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का हकदार है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को

ध्यान में रखना होगा। हर साल जुलाई की पहली तारीख को अपीलार्थी वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि पाने में विफल रहे, जिसके वे हकदार हैं। पेंशन विभाग ने अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलार्थी का पेंशन भुगतान आदेश जारी किया है। वर्तमान मामले में शामिल विवाद का निपटारा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है और उसी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23.7.2018 को राज्य द्वारा दायर एसएलपी को खारिज करके पहले ही बरकरार रखा है जिसमें यह माना गया है कि 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि के अनुदान के हकदार हैं। यूओआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की, लेकिन उसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 08.08.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। इसी तरह के विवाद का फैसला विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21/2023) के मामले में भी हुआ है, साथ ही कई रिट याचिकाओं में भी, जिनका फैसला 21.07.2023 को हुआ था और अपीलार्थी का मामला इस फैसले से पूरी तरह से आच्छादित है और इसलिए अपीलार्थी को भी यही राहत मिलनी चाहिए। विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.7.2023 के निर्णय के अनुसार वेतन ग्रेड का लाभ दिया जाए लेकिन आज तक प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को जुलाई 2021 के लिए एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जावे एवं अपीलार्थी को परिणामी लाभ के साथ बकाया राशि का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे और तदनुसार अपीलार्थी को संपूर्ण पेंशनभोगी लाभ और मासिक पेंशन संशोधित की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में

अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष